अध्याय – 3

विनिश्चय करने की प्रक्रिया में पालन की जाने वाली प्रक्रिया जिसमें पर्यवेक्षण और उत्तरदायित्व और उत्तरदायित्व के माध्यम सम्मलित हैं।

जयपुर नगर निगम में किसी भी मामले में विनिश्चय/निर्णय किये जाने के प्रक्रम में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया और निगरानी/पर्यवेक्षण तथा जवाबदेही के माध्यम को नीचे लिखित सारणी में अंकित किया है। इसी प्रक्रिया अनुसार नगर निगम की प्रत्येक शाखा में निर्णय लिये जाते हैं तथा निगरानी पर्यवेक्षण में कार्य किया जाता है। नगर निगम में मुख्य कार्यकारी अधिकारी के नियंत्रण में समस्त प्रशासनिक नियंत्रण रहता है। सभी अधिकारी/कर्मचारी मुख्य कार्यकारी अधिकारी के प्रति उत्तरदायी होते हैं। मुख्य कार्यकारी अधिकारी नगर निगम बोर्ड, महापौर व राज्य सरकार के प्रति उत्तरदायी होते हैं।

निर्णय प्रक्रिया को निम्न सारणी में अंकित किया गया है –

विभाग	प्रकरण प्रारंभकर्ता कर्मचारी	अधिकारी जिसके माध्यम से प्रस्तुत होता है	निर्णयकर्ता प्राधिकारी	निगरानी पर्यवेक्षण अधिकारी	प्राधिकारी जिसके प्रति उत्तरदायी है
समस्त विभाग/शाखा	सम्बन्धित डीलिंग कर्मचारी	सम्बन्धित शाखा व विभागाध्यक्ष	मुख्य कार्यकारी अधिकारी/आयुक्त मुख्यालय/जोन आयुक्त/नगर निगम बोर्ड / समितियॉ	महापौर/मुख्य कार्यकारी अधिकारी/आयुक्तगण	महापौर/मुख्य कार्यकारी अधिकारी